पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-978/2016

थाना कांड संख्या -114 वर्ष-2014 थाना-लाहेरीमुहल्ला जिला-नालंदा से उत्पन्न

==========

धर्मवीर कुमार, पुत्र-राम प्रवेश शर्मा, निवासी- ग्राम- लोना, थाना-नालंदा, जिला नालंदा

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री स्मृति सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता
प्रतिवादी-राज्य के लिए	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

==========

कानूनी प्रावधान:

फौजदारी प्रक्रिया संहिता: *धारा 374(2)*

भारतीय दंड संहिता: *धारा 372, धारा 34*

हथियार अधिनियम: *धारा 27 (1)*

अपील-

यह अपील ***11/8/2016*** *को पारित दोषसिद्धि के फैसले और* ***23/8/2016*** *को पारित सजा के आदेश को चुनौती देती है, जो माननीय सत्र न्यायाधीश, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा सेशन ट्रायल संख्या 84/2015 में पारित किया गया था। यह मामला* ***लाहेरी पुलिस स्टेशन केस***

संख्या 114/2014 *से उत्पन्न हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता को* ***भारतीय दंड संहिता की धारा 302*** *और* ***हथियार अधिनियम की धारा 27*** *के तहत दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता को* ***चार वर्षों की सख्त कारावास*** *और* ***5000 रुपये जुर्माना*** *तथा जुर्माना न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया गया था, और यह सजा दोनों को समांतर रूप से चलने की बात की गई थी।*

मामले के तथ्य -

सूचक के अनुसार, वह अपने भाई के साले के साथ बारात में शामिल हो रहा था और रात के करीब 9 बजे महिला लॉज के पास बारात जब पहुंची, तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने बारात में घुसने का प्रयास किया और धमकी दी। बाद में, बारात जब ***राधिका होटल*** *के पास पहुँची, तो 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने डंडा, पिस्तौल और तलवार लेकर हमला किया। उन्होंने पहले एक बराती को डंडे और तलवार से मारा, जिससे वह घायल हो गया, फिर एक अन्य व्यक्ति को गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। बाद में, सूचक का बड़ा भाई भी घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी व्यक्तियों ने अपने नाम बताये। याचिकाकर्ता को गोली चलाने वाला धर्मवीर कुमार के रूप में पहचाना गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सबने स्वीकार किया कि वे इस घटना में शामिल थे। जांच के दौरान रक्त के धब्बे पाए गए, जो संग्रहीत नहीं हो सके। मृतक का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार किया गया और घायल व्यक्तियों की रिपोर्ट भी बनाई गई। बाद में याचिकाकर्ता और मृतक के कपड़े जब्त किए गए, जो खून से सने हुए थे और जांच के लिए पटना फोरेंसिक साइंस लैब भेजे गए।*

न्यायालय का विश्लेषण -

इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि फारेंसिक रिपोर्ट ही दोषसिद्धि के लिए मुख्य कारण थी, जो ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, यह भी देखा गया कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ता ने मृतक के साथ शारीरिक संपर्क किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और यह निष्कर्ष वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं था। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संदेह उत्पन्न किया

*है और इन संदेहों का समाधान नहीं किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने का कोई उचित आधार नहीं था और उसे **संदेह का लाभ** दिया गया।*

निर्णय–

*न्यायालय ने **धर्मवीर कुमार** की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और उसे **बरी** कर दिया। याचिकाकर्ता को **तत्काल रिहा** किया जाएगा यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।*

अपील स्वीकृत की जाती है।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा
मौखिक निर्णय
(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)
तारीखः 20-04-2024

वर्तमान अपील अपीलार्थी दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें बिहारशरीफ के विद्वान सत्र न्यायाधीश, नालंदा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 84/2015 में पारित दिनांक 11.08.2016 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 23.08.2016 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जो लहेरी थाना मामला संख्या 114/2014 से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (जिसे आगे 'आईपीसी' कहा जाएगा) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये

जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत चार साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है।

2. पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह (पीडब्लू-7), एस.एच.ओ., लहेरी पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 02.05.2014 को 23:15 बजे रामचन्द्रपुर स्थित राधिका होटल के पास दर्ज सूचक (पीडब्लू-6) अर्थात् शैलेन्द्र कुमार के *फर्दबयान* के अनुसार अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:-

> "यह कि दिनांक 02.05.2014 को शिव दयाल कुमार (सूचक के भाई अनिल कुमार सिंह के बहनोई) की बबीता कुमारी (सुरेन्द्र नाथ की पुत्री) के साथ विवाह के अवसर पर, *बारात* रात्रि 9 बजे शिव दयाल कुमार के घर से निकली, जो मोहल्ला-खंदक पार पुलिस स्टेशन, बिहार में स्थित है। *बारात* को राधिका होटल में ठहरना था और विवाह समारोह नाला रोड स्थित पानी टंकी के पास राज उत्सव हॉल में होना था। जब बारात खंदक पार से पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची तो डी.जे. बज रहा था। लेकिन दो युवक बारात में घुस आए और नाचने लगे तथा बारात में बाधा डालने लगे और जब बारात के लोगों ने इसका विरोध किया तो दोनों युवक हाथापाई पर उतर आए, लेकिन *बारात* के लोगों ने उन्हें भगा दिया। लेकिन दोनों युवक आगे सबक सिखाने की धमकी देते हुए चले गए। रात करीब 10.50 बजे जब *बारात* राधिका होटल के पास पहुंची तो 6-7 लोग *तलवार* व पिस्तौल लेकर वहां पहुंचे और बारात के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब बारातियों ने विरोध किया तो उनमें से एक युवक ने अपनी *तलवार* से नीतीश कुमार (पी.डब्लू.-2) पर हमला कर दिया जिससे उसके बाएं आंख के पास गाल पर चोट लग गई। हमलावरों

में से एक को *बारात* के लोगों ने पीटा भी। इस बीच, हमलावरों में से एक ने उसके छोटे भाई अनिल कुमार के कान के पास गोली मार दी। फलस्वरूप वह गिरकर बेहोश हो गया। इसी बीच लहेरी थाने की गश्ती पुलिस पार्टी वहां पहुंची और बरात पार्टी के निर्देशानुसार हमलावर युवकों का पीछा कर उनमें से तीन को पकड़ लिया तथा बाकी लोग हथियार लेकर दूसरी दिशा में भाग गए। सूचना देने वाले के बड़े भाई को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों में से घायल को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसने अपना नाम इंद्रजीत कुमार, पुत्र साधु ठाकुर, ग्राम-लोना, थाना-नालंदा बताया, जो वर्तमान में बिहारी महतो के मकान में भैसासुर में किरायेदार के रूप में रह रहा है, जो थाना लहेरी, जिला-नालंदा में स्थित है, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मवीर कुमार, पुत्र राम परवेश शर्मा, निवासी लोना, थाना-नालंदा बताया तथा वर्तमान में बिहारी महतो के मकान में भैसासुर में किरायेदार के रूप में रह रहा है, जो थाना लहेरी, जिला-नालंदा में स्थित है तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम बिपिन कुमार, पुत्र अवधेश शर्मा, निवासी लोना, थाना-नालंदा बताया। सूचक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि वह शेष व्यक्तियों को पहचान सकता है, जो भाग गए हैं। मुखबिर ने दावा किया है कि उपरोक्त तीनों गिरफ्तार आरोपियों ने तीन-चार अन्य लोगों के साथ मिलकर मामूली कहासुनी के चलते उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी।

3. सूचक (पीडब्लू-6) द्वारा दी गई उपरोक्त *फर्दबयान/लिखित* सूचना के आधार पर, लहेरी थाना कांड संख्या 114/2014 दिनांक 03.05.2014 को लगभग 1.00 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता/दोषी सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

4. इसके बाद जांच अधिकारी ने जांच की और जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्र किए और जांच पूरी होने के बाद संबंधित विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपीलकर्ता/अभियुक्त और अन्य आरोपी व्यक्तियों अर्थात इंद्रजीत कुमार के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 128/2014 दिनांक 30.07.2014 को दायर किया, जबकि बाकी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच जारी रखी।

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने दिनांक 21.07.2014 को आरोप-पत्रित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया तथा उसी दिन अभियुक्त इंद्रजीत कुमार का मामला किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, चूंकि अपीलकर्ता का मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने मामले को संहिता की धारा 209 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जिसने मामले को विचारण तथा निपटान के लिए बिहारशरीफ स्थित नालंदा के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जहां एस.टी.आर. संख्या 84/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से पूछताछ की। वे हैं: पीडब्लू-1 शिवनिकेतन कुमार, पीडब्लू-2 नीतीश कुमार (घायल), पीडब्लू-3 अनुज कुमार, पीडब्लू-4 पप्पू कुमार, पीडब्लू-5, डॉ. राज किशोर राजू, पीडब्लू-6 शैलेंद्र कुमार (सूचनाकर्ता) और पीडब्लू-7 ओम प्रकाश सिंह, लहेरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर और इस मामले के जांच अधिकारी (आईओ)।

7. बचाव पक्ष ने दो गवाहों, कमलेश कुमार (डीडब्लू-1) और इंजराजित कुमार (घायल सह-अभियुक्त) (डीडब्लू-2) से पूछताछ की है।

8. मौखिक साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रदर्शों पर भी भरोसा किया है:-

प्रदर्श संख्या (ओं)	**दस्तावेजों की सूची**
प्रदर्श-1	जब्तीसूची में शिवनिकेतन कुमार (पीडब्लू-1) के हस्ताक्षर
प्रदर्श-1/1	जब्ती सूची में नितीश कुमार (पीडब्लू-2) के हस्ताक्षर हैं।
प्रदर्श-2	जब्ती सूची में अनुज कुमार (पीडब्लू-3) के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2/1	जब्ती सूची में पप्पु कुमार (पीडब्लू -4) के हस्ताक्षर ।
प्रदर्श-3	मृतक अनिल कुमार सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।
प्रदर्श- 3/1	घायल इंद्रजीत कुमार की चोट की रिपोर्ट।
प्रदर्श-3/2	घायल नीतीश कुमार की चोट की रिपोर्ट।
प्रदर्श-4	*फरदबेयान* पर सूचना देने वाले शैलेंद्र कुमार के हस्ताक्षर।
प्रदर्श-4/1	*फरदबेयान* पर नितीश कुमार के हस्ताक्षर।
प्रदर्श-5	मृतक अनिल कुमार सिंह की पूछताछ रिपोर्ट की फोटोस्टैट प्रति।
प्रदर्श-5/1	जाँच रिपोर्ट पर शैलेंद्र कुमार (पीडब्लू-6) के हस्ताक्षर।
प्रदर्श-6	आरोपी धर्मवीर कुमार की कमीज की जब्त सूची।
प्रदर्श-7	सूचना देने वाले शैलेंद्र कुमार (पीडब्लू-6) के *फरदबेयान* ।
प्रदर्श-7/1	पुलिस निरीक्षक, ओम प्रकाश सिंह (पीडब्लू-7) का समर्थन।
प्रदर्श-8	मृतक अनिल कुमार सिंह की पूछताछ रिपोर्ट की

	फोटोस्टैट प्रति।
प्रदर्श-9	मृतक अनिल कुमार सिंह की खून से सना शर्ट की जब्त सूची।
प्रदर्श-10	लहेरी थाना केस संख्या 114/2014 का औपचारिक एफ.आई.आर. दिनांक 03.05.2014
प्रदर्श-11	एफ. एस. एल. रिपोर्ट जिसका संख्या 2014 का 2930 दिनांक 21.04.2016 है।
प्रदर्श-11/1	सीरोलॉजिकल रिपोर्ट दिनांकित 17.05.2016

9. बचाव पक्ष ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों /प्रदर्शों पर भी भरोसा किया हैः

प्रदर्श संख्या (ओं)	**दस्तावेजों की सूची**
प्रदर्श-ए	इंद्रजीत कुमार की रक्त परीक्षण रिपोर्ट (डी. डब्ल्यू.-2)
प्रदर्श-बी	इंद्रजीत कुमार के रक्त समूह के संबंध में रक्त परीक्षण रिपोर्ट।

10. अपीलकर्ता/अभियुक्त का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसे मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों/परिस्थितियों के बारे में बताया गया, जिनसे उसने इनकार किया और अपनी पूर्ण निर्दोषता दर्शाई।

11. विचारण के समापन के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

12. उपरोक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/दोषी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

13. अतः वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता/आरोपी की ओर से प्रस्तुत तर्क:

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिन्ध्याचल सिंह ने अपीलकर्ता/अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए कहा कि मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों की प्रकृति यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त ने संदेह से परे कथित अपराध को किया है और इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपराधिक कानून के स्थापित मानदंडों के मूलभूत और बुनियादी पहलुओं को पूरा नहीं करता है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री सिंह ने कहा कि इस मामले के सूचक को घटना का चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-10) के माध्यम से यह दावा करने के बावजूद कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था, वह अपीलकर्ता का नाम बताने में विफल रहा कि वह वह व्यक्ति था, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी, हालांकि, उसे अन्य दो आरोपियों के साथ घटना के तुरंत बाद पुलिस गश्ती दल का थोड़ी दूर तक पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया था। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता/आरोपी और अन्य दो गिरफ्तार सह-आरोपी व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं किया गया, बल्कि एफआईआर के वर्णन के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शेष सह-आरोपी व्यक्ति हथियारों के साथ दूसरी दिशा में भाग गए थे। यह कहा गया है कि अकेले इस तथ्य के मद्देनजर, विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों के माध्यम से उठाया गया विशिष्ट आरोप विश्वसनीय नहीं लग रहा है

कि इस अपीलकर्ता ने सूचक के भाई के कनपटी पर गोली चलाई जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर के माध्यम से यह बताया गया है कि पकड़े गए तीन आरोपियों ने अपने 3 या 4 दोस्तों के साथ, जो घटना के बाद भाग गए थे, मुखबिर के भाई की हत्या की। यह बताया गया है कि अपीलकर्ता के लिए घातक चोट पहुंचाने के विशिष्ट आरोप को केवल मुकदमे के दौरान सुधारा गया है ताकि इच्छुक गवाह होने के नाते दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सके। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से कथित गोलीबारी की गई थी, जैसा कि पीडब्लू-1, अर्थात् श्रीनिकेतन कुमार ने बयान दिया था, वह भी इस अपीलकर्ता द्वारा मृतक के कनपटी पर गोली चलाने के विशिष्ट आरोप के मद्देनजर संदेह पैदा करता है।

15. श्री सिंह ने आगे कहा कि घायल गवाह पीडब्लू-2, अर्थात नीतीश कुमार भी इस तथ्य की वास्तविक घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है कि इस अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा घातक बन्दूक से चोट पहुंचाई गई थी। यह भी बताया गया है कि पीडब्लू-3 भी गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि पीडब्लू-6, जो मामले का मुखबिर है, ने अपने मुख्य परीक्षण में ही स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि उसे पता चला कि अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा गोलीबारी की गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में परीक्षण पहचान परेड कानून के तहत अनुमोदित तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले के जांच अधिकारी, जिन्होंने पीडब्लू-7 के रूप में जांच की, ने अपीलकर्ता/अभियुक्त का थोड़ी दूर तक पीछा किया और पाया कि उसके दाहिने कंधे पर शर्ट खून से सना हुआ था और उसकी दाहिनी जेब भी फटी हुई थी जिसे जब्त कर के फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, लेकिन वह अपीलकर्ता/अभियुक्त को वर्तमान घटना से नहीं जोड़ सका और विद्वान विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से काल्पनिक आधार पर अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराया, क्योंकि

अपीलकर्ता/अभियुक्त की शर्ट पर पाया गया खून का धब्बा ग्रुप- 'ओ' का था जो कि मृतक का था, बचाव पक्ष के गवाह के बयान को नज़रअंदाज़ करके। यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्तों में से एक, इंद्रजीत कुमार, घटना के दौरान घायल हो गया था, जिसे भी घटना के दौरान चोट लगी थी और उसे अपीलकर्ता/अभियुक्त के साथ पकड़ा गया था जिसका रक्त समूह भी 'ओ' था। श्री सिंह ने बताया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराते समय घायल इंद्रजीत कुमार की चिकित्सा चोट को इस तरह से नोट किया जो रिकॉर्ड यानी प्रदर्श संख्या 3/1 से समर्थित नहीं है। यह बताया गया कि विचारण न्यायालय ने यह दर्ज करने में गलती की कि प्रदर्श-3/1 के अनुसार इंद्रजीत कुमार के चेहरे पर केवल खरोंच ही पाई गई थी, जबकि प्रदर्श संख्या-3/1 में इंद्रजीत कुमार के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई चोटें दिखाई गई हैं, जो 'खरोंच' की प्रकृति की हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने एक काल्पनिक दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि इंद्रजीत कुमार की ठोड़ी पर कोई घाव नहीं था और इसलिए, यह संभव नहीं है कि अपीलकर्ता की शर्ट पर खून का धब्बा इंद्रजीत का था, क्योंकि केवल ठोड़ी ही किसी व्यक्ति को कंधे पर ले जाते समय ही छू सकती है और पूरी तरह से इस काल्पनिक आधार पर, बचाव पक्ष के संस्करण को खारिज कर दिया गया। यह भी बताया गया है कि इस मामले के जांच अधिकारी/पीडब्लू-7, ओम प्रकाश सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में विशेष रूप से कहा था कि खून का धब्बा केवल दाहिने कंधे तक ही सीमित था। इसलिए, अभियुक्त/अपीलकर्ता की पूरी शर्ट पर खून का पता लगाना कल्पना से परे प्रतीत होता है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिन्ध्याचल सिंह ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह एक क्लासिकल मामला है, जिसमें बचाव पक्ष की विफलता के कारण दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई, जो अपनी निर्दोषता साबित करने में असफल रहा, जबकि

आपराधिक अभियोजन का यह मूल सिद्धांत है कि अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष का है, न कि अभियुक्त/अपीलकर्ता का।

17. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त इंद्रजीत कुमार का खून भी मानव का था और यह रक्त समूह- 'O' था, जो कि मृतक का भी था। उसे घटनास्थल से अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा कंधे पर लाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के किसी भी चश्मदीद ने यह नहीं कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता मृतक के शारीरिक संपर्क में आया था जिससे मृतक की चोट से खून का धब्बा उसके दाहिने कंधे पर लग गया। विचारण न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा और पूरी तरह से काल्पनिक आधार पर बचाव पक्ष के संस्करण पर विश्वास नहीं किया, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि रक्त समूह के मिलान के मामले में, एकमात्र विकल्प, जो अभियोजन पक्ष के पास उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए उपलब्ध था, वह डी.एन.ए. (डी-ऑक्सी रिबुलोज न्यूक्लिक एसिड) परीक्षण था, जो नहीं किया गया था।

18. तर्क समाप्त करते हुए, श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता सहित तीन गिरफ्तार अभियुक्तों से आग्नेयास्त्र या किसी भी हथियार की बरामदगी भी पूरे अभियोजन पक्ष के कथन पर गंभीर संदेह पैदा करती है। यह भी बताया गया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को पास के बस-स्टैंड से पकड़ा गया था, जो घटनास्थल से कुछ दूरी पर है, लेकिन, विद्वान विचारण न्यायालय ने फिर से कल्पना का आश्रय लिया कि उक्त समय अंतराल में, हत्या का हथियार अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा फेंका जा सकता है। यह कथन अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयान के मद्देनजर भी एक गंभीर संदेह पैदा करता है कि 3-4 अभियुक्तों का दूसरा समूह सभी हथियारों के साथ दूसरी दिशा में भाग गया।

19. उपर्युक्त दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया है, जैसा कि **खेमा उर्फ खेम चंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2023) 10 एससीसी 451]; सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2014) 10 एससीसी 270]; गिरेसन नायर और अन्य बनाम केरल राज्य [(2023) 1 एससीसी 180] और राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 170]** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

<u>राज्य की ओर से तर्क:</u>

20. राज्य के विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि कई चश्मदीद गवाहों ने अपनी मौखिक गवाही के माध्यम से यह साबित किया है कि यह अपीलकर्ता/आरोपी था, जिसने मृतक पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि घायल गवाह, जो इस मामले का मुहरबंद गवाह है यानी पीडब्लू-2 ने भी मुकदमे के दौरान कहा कि यह अपीलकर्ता/आरोपी था, जिसने मृतक पर गोली चलाई और उसके बयान पर अविश्वास करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे के दौरान छोटी-मोटी विसंगतियां सामने आना स्वाभाविक है और उसी के कारण अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान एपीपी ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य [2011 4 एससीसी 324]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। विद्वान एपीपी ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मौत आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई थी, जिसका समर्थन विभिन्न चश्मदीद गवाहों ने भी किया और इस तरह, वर्तमान मामले में हथियारों की बरामदगी न होना भी घातक नहीं है। अपने तर्क के

समर्थन में, विद्वान एपीपी ने **प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य [2014 सीआरएल.जे. 2503]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

21. विद्वान एपीपी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र गवाह की कमी के कारण, इस मामले के जांच अधिकारी का बयान, जिसने घटना के तुरंत बाद आरोपी व्यक्तियों को पकड़ लिया था, खारिज नहीं किया जा सकता, अगर यह विश्वसनीय पाया जाता है और विश्वास को प्रेरित करता है जैसा कि वर्तमान मामले में है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान एपीपी ने **ताहिर बनाम दिल्ली राज्य [(1996) 3 एससीसी 338]** के मामले में रिपोर्ट की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

विचार और विश्लेषण:

22. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क पर भी ध्यान दिया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के न्यायोचित एवं उचित निपटारे के लिए साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करना उचित होगा, लेकिन उससे पहले हम इस मामले में अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराने के संबंध में विद्वान निचली अदालत के अंतिम निष्कर्ष को उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है:-

> ***"... बचाव पक्ष अपनी दलील को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।"***

(आक्षेपित निर्णय का पैरा 90)

यह अंतिम पंक्ति है, जिसने विद्वान विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता/आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आश्वस्त किया। यह परेशान करने वाला लगता है कि कैसे आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल आधारभूत पहलू, जहाँ अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करे, इस मामले में

अनदेखा कर दिया गया और आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने का भार डाल दिया गया।

23. उपर्युक्त समापन टिप्पणी के मद्देनजर, मौखिक साक्ष्य का प्रथम दृष्टया पुनः मूल्यांकन करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

24. इस मामले के सूचक अ.सा.-6 शैलेन्द्र कुमार हैं, जिन्होंने बताया कि घटना दिनांक 02.05.2014 की है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि जब वे अपने बड़े भाई के साले शिव दयाल की *बारात* में शामिल होने गए थे और *बारात* खंदकपर मोहल्ला से राधिका होटल होते हुए रात्रि 9:00 बजे बिहारशरीफ पोस्ट ऑफिस के निकट महिला कॉलेज के पास पहुंची, तो दो अज्ञात व्यक्ति जुलूस में घुस आए। जब *बरात* के सदस्यों ने उनका विरोध किया, तो वे उन्हें आगे देख लेने की धमकी देते हुए पीछे हट गए। उन्होंने आगे बताया कि जब *बारात* का जुलूस रात्रि 10.50 बजे राधिका होटल के पास पहुंचा, तो 6-7 अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में रॉड, पिस्तौल और तलवार लेकर आए, जिनमें वे लोग भी शामिल थे, जो पोस्ट ऑफिस के पास जुलूस में अनाधिकृत रूप से घुसे थे और सबसे पहले नीतीश कुमार (अ.सा.-2) पर रॉड और तलवार से हमला किया, जो उनकी बायीं आंख के नीचे लगी। एक व्यक्ति ने गोली चलाई जो उसके भाई अनिल कुमार सिंह के दाहिने कान में लगी। इसके बाद, उसका बड़ा भाई घायल हो गया और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मुख्य परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया था और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आई, जहां पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम धर्मवीर कुमार, (अपीलकर्ता), बिपिन कुमार और इंद्रजीत प्रसाद बताया। पकड़े गए सह-अभियुक्त इंद्रजीत ने भी घटना के दौरान चोटें प्राप्त करने की बात कही है। उसे पता चला कि गोली चलाने वाला व्यक्ति अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार था, जिसे उसने पहचान लिया। यह कहा गया कि नीतीश कुमार पर बिपिन कुमार ने हमला भी किया था। मुख्य परीक्षण

का यह बयान यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था बल्कि उसे किसी अज्ञात स्रोत से पता चला कि यह अपीलकर्ता था, जिसने उसके बड़े भाई पर गोली चलाई थी। उन्होंने *फर्दबयान* पर अपने हस्ताक्षर और नीतीश कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर क्रमशः प्रदर्श संख्या 4 और 4/1 के रूप में प्रदर्शित हुए। उन्होंने जांच रिपोर्ट पर भी अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श संख्या 5 के रूप में प्रदर्शित हुई और उनके हस्ताक्षर प्रदर्श संख्या 5/1 के रूप में प्रदर्शित हुए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता सहित पकड़े गए आरोपियों से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हत्या राधिका होटल के पास हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मृतक भाई पर न तो रॉड से हमला किया गया और न ही तलवार से। इस गवाह ने आगे कहा कि जो लोग पिस्तौल से लैस थे, उनमें से एक अपीलकर्ता था। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि गोली दायीं ओर से चलाई गई थी जबकि उनका भाई पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था। यह बहुत नजदीक से की गई फायरिंग थी जो लगभग सिर को छूती हुई थी, जहां गोली सिर के अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। उन्होंने कहा कि फायरिंग के समय ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कटने का घाव था, जो शरीर के केवल एक स्थान पर था, जबकि उनके पूरे शरीर पर अदृश्य चोटें थीं। घटना के दौरान उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों की पहचान के लिए रात में ही टीआईपी की गई थी, जो दीप नगर पुलिस स्टेशन में की गई थी। टीआईपी के दौरान उनके साथ चार अन्य व्यक्ति भी थे, लेकिन उन्होंने उनके नाम नहीं बताए। वह पहला व्यक्ति था जिससे पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। यह बयान दिया गया कि वह यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने पूछताछ के समय उसका बयान दर्ज किया था या नहीं, जब आरोपी भी वहां मौजूद थे। उसने घटना में अपीलकर्ता/आरोपी की संलिप्तता के संबंध में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों

को नकार दिया। उसने कहा कि घटना से पहले अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों को वह नहीं जानता था। पूछताछ और पहचान के बाद, जैसा कि बताया गया, उसे घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया और हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। घटनास्थल पर कोई पिस्तौल या *तलवार* बरामद नहीं हुई। उसने इस बात से इनकार किया कि आरोपी/अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार को झूठा फंसाया गया जबकि उसके घायल भाई को संदेह के आधार पर अस्पताल ले जाया गया।

25. पी.डब्लू.-1 श्रीनिकेतन कुमार हैं, जिन्होंने घटना की तारीख और समय का भी समर्थन किया। उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि जब मृतक अनिल कुमार सिंह हाथापाई में शामिल लोगों को शांत करने गए थे, तो आरोपी/अपीलकर्ता धर्मवीर ने उनके सिर में गोली मार दी। उन्होंने यह भी कहा कि बिपिन ने नीतीश (पी.डब्लू.-2) पर तलवार से हमला किया, जिससे उनकी बाईं आंख के नीचे चोट आई। उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा शोर मचाने पर पुलिस वहां आई और थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद तीन व्यक्तियों धर्मवीर (अपीलकर्ता), इंद्रजीत और बिपिन कुमार को पकड़ लिया। पुलिस अनिल कुमार को अस्पताल ले गई। उनके द्वारा यह कहा गया कि पुलिस ने मृतक की खून से सनी शर्ट और पेंट जब्त की और उनके द्वारा हस्ताक्षरित जब्ती सूची तैयार की, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी पहचान करने पर प्रदर्श संख्या 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह भी कहा गया कि उक्त जब्ती सूची पर नीतीश कुमार के भी हस्ताक्षर थे। घटना के अगले दिन सुबह करीब 2 बजे अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया गया। उसने पुलिस के सामने बताया कि छह लोगों में से उसने तीन लोगों को पहचाना और यह भी बताया कि उनमें से दो के पास *तलवार* थी। उसने पुलिस के सामने यह भी बताया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद अपना नाम बताया। उसने बताया कि नीतीश कुमार की चोट लगभग आधी उंगली के बराबर थी, लेकिन घटना के समय वह उक्त चोट को नहीं देख सका। उसने बताया कि

उसने तलवार से हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। नीतीश की चोट से खून बह रहा था। उसने यह भी बताया कि जब गोली लगी तो मृतक अनिल पर गोली चलाई, उस समय वह पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा था और उसके सामने से गोली चलाई गई। यह एकल गोलीबारी थी और रात का समय होने के कारण वह यह नहीं देख सका कि वहां लोग इकट्ठा हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि लहेरी थाने को सूचना नहीं दी गई थी, जो कि घटनास्थल के पास ही था। यह भी कहा गया कि पुलिस घटनास्थल पर दो से ढाई मिनट के बाद आई जब अनिल (मृतक) को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने किसी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया। वह यह खुलासा करने में भी विफल रहे कि पुलिस को किसने बताया कि आरोपी भाग गए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, तो उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। पुलिस ने न तो कोई पिस्तौल और न ही कोई तलवार बरामद की। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर आई और उसके बाद उन्हें पुलिस थाने ले गई, जहां पुलिस के साथ शैलेंद्र कुमार (मुखबिर/पीडब्लू-6) भी थे। सुबह अस्पताल में ही उनकी मुलाकात पीडब्लू-6/मुखबिर से हुई, तथा सुबह 3-4 बजे के बीच पुलिस लगभग 2 बजे सदर अस्पताल, बिहारशरीफ पहुंची।

26. पी.डब्लू.-2, नितीश कुमार है, जो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, क्योंकि घटना के दौरान वह स्वयं घायल हो गया था। उसके बयान के अनुसार, उस पर तलवार से हमला किया गया जिससे उसकी आंख के पास चोट आई और उस समय, अनिल कुमार सिंह (मृतक) आरोपियों को शांत करने के लिए वहां आया, जहां विवाद के दौरान, एक आरोपी ने अनिल कुमार को कनपटी में गोली मार दी और उसके बाद वे भाग गए। इसके बाद, वह उसे *बारात* में शामिल लोगों की मदद से अस्पताल ले आया। उसने कहा कि उन्होंने पुलिस को केवल यह बताया कि आरोपी पश्चिम दिशा

की ओर भाग गए, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा किया और तीन आरोपियों को पकड़ लिया, जिन्हें उसने पहचान लिया। उसके सामने पुलिस ने उसका नाम पूछा, जहां उसने अपना नाम धर्मवीर (अपीलकर्ता/आरोपी), इंद्रजीत और बिपिन बताया। उसने खुलासा किया कि बिपिन ने उस पर हमला किया था और धर्मवीर (अपीलकर्ता) ने अनिल पर गोली चलाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सामने खून से सने कपड़े जब्त किए गए थे, जिसकी पहचान उन्होंने गवाह के रूप में की थी, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी पहचान के बाद एक्जीबिट संख्या 1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि दुल्हन पक्ष द्वारा बारात जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से तलवार चलाने के प्रयास को रोका, लेकिन उनके हाथ पर कोई कट नहीं लगा। बताया गया कि यह हमला उसके सामने से किया गया था, जिसमें उसकी आंख के पास करीब आधा इंच का घाव हो गया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि तलवार की चोट से उसे दर्द होने लगा, इसलिए वह डर के मारे *बारात* के पीछे चला गया और इसी दौरान गोली चलने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और सभी बाराती भी डर के मारे घटनास्थल से भागने लगे, जो कुछ देर बाद एकत्र हुए। उसने यह भी कहा कि बारातियों द्वारा आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी किया गया। उसने बताया कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि अनिल (मृतक) के कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली चलाई गई थी। वह अस्पताल भी गया, जहां उसका इलाज हुआ और वह अस्पताल से करीब 5 बजे सुबह घर वापस आया। पकड़े गए आरोपियों को वह घटना से पहले से नहीं जानता था। उसका बयान घटनास्थल पर दर्ज नहीं किया गया।

27. पी.डब्लू.-3 अनुज कुमार है, जिसने घटना की तारीख, समय, स्थान और तरीके का समर्थन किया है, जैसा कि सूचक/पी.डब्लू.-6 ने बताया है, जो घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा भी कर रहा है। उसने बताया कि 5-6 अज्ञात व्यक्ति

बारात जुलूस में घुस आए और तलवार लहराने लगे और इसी बीच गोली चलाई गई, जो अनिल कुमार को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने बताया कि गोली उसके दाहिने कान के पास लगी। उसने बताया कि गोली चलाने के बाद आरोपी बस स्टैंड की तरफ भाग गए, इसी बीच पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और जब उसने और अन्य लोगों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस ने उक्त दिशा में जाकर तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया, बाद में उसे पता चला कि वे धर्मवीर (अपीलकर्ता), इंजद्रजीत और बिपिन थे। उसने जब्ती सूची पर भी हस्ताक्षर किए। वह यह बताने में विफल रहा कि नालंदा कॉलेज के पास किस पर हमला किया गया था। यह बयान दिया गया कि नालंदा कॉलेज के पास हुई घटना 5-10 मिनट तक जारी रही और कुछ लोगों को उक्त घटना में चोटें भी आईं। उनका बयान 1-2 बजे के बीच अस्पताल में दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस को एक बयान दिया था कि घटना के समय, वे राधिका होटल के पास थे, जो रामचंद्रपुर बस स्टैंड के पास है और उन्होंने यह भी बयान दिया कि 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने नालंदा महिला कॉलेज के पास *बारात* के सदस्यों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि गोली अनिल के सिर को पार कर गई, जिससे बाहरी घाव हो गया और परिणामस्वरूप कान के पास काफी मात्रा में खून जम गया था। यह कहा गया कि जब अनिल (मृतक) गिर गया, लगभग 2 मिनट के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ खून जमीन पर भी फैला हुआ था, जहां मृतक गिरा था। उसने कहा कि वह मृतक अनिल का रिश्तेदार था और उसकी साली का पति था। उन्हें टीआईपी में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था।

28. पी.डब्लू.-4 पप्पू कुमार है, जो जब्ती सूची का एकमात्र गवाह है। उक्त जब्ती सूची पर अनुज कुमार (पी.डब्लू.-3) ने भी हस्ताक्षर किए थे, जिसे बिहारशरीफ अस्पताल में तैयार किया गया था। उसने अपनी जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी पहचान पर प्रदर्श संख्या

2/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसे आधी रात के बाद यानी 12 घंटे बाद तैयार किया गया था।

28.1 जिरह करने पर उसने बताया कि उसने केवल जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए थे और पुलिस ने उससे घटना के बारे में कभी नहीं पूछा। वह मृतक का रिश्तेदार भी है, क्योंकि वह अपनी साली का पति है। उसने मृतक का रिश्तेदार होने के नाते झूठा बयान देने के सुझाव से इनकार किया।

29. अ.सा.-5 डॉ. राज किशोर राजू हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 03.05.2014 को वे सदर अस्पताल बिहारशरीफ में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तथा उसी दिन प्रातः 6:30 बजे उन्होंने अनिल कुमार सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया तथा निम्नलिखित चोटें पायी:-

"बाहरी चोट-

(1) दाहिने कान के पीछे 1/2" का प्रवेश घाव, कोमल ऊतकों से सटा हुआ घाव।

(2) घाव से 3" व्यास का टैटू

(3) कोई निकास घाव नहीं दिखा"।

विच्छेदन पर-

"खोपड़ी-1/2" टेम्पोरल अस्थि के पीछे का छिद्र घाव, दाहिनी गुहा खून से भरी हुई, अवरुद्ध (मेनिन्जेस), धातुयुक्त गोली के शीर्ष पदार्थ बरामद।

छाती- छाती गुहा बरकरार, फेफड़े पीले।

हृदय- सभी कक्ष खाली।

उदर- पेट में 2 ग्राम अपचित भोजन, अन्य सभी अंतड़ियाँ बरकरार।

मूत्राशय आधा भरा हुआ।

बाह्य जननांग- सामान्य"।

उन्होंने कहा कि मौत रक्तस्रावी और तंत्रिकाजन्य आघात के कारण हुई, जो कि फायर-आर्म के कारण लगी चोट के कारण हुई। उन्होंने आगे कहा कि मौत के बाद से

12 घंटे का समय बीत चुका था। उन्होंने आगे कहा कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी खुद की लिखावट में है, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसे **प्रदर्श संख्या-3** के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रदर्श-धातुयुक्त गोली के सिर जैसा नमूना पुलिस को सौंपा गया।

उसी दिन, पी.डब्लू.-5 डॉ. राज किशोर राजू ने भी अभियुक्त इंद्रजीत कुमार की जांच की और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

"(1) बायीं ऊपरी और निचली पलक में सूजन।

(2) चेहरे के बायीं ओर जबड़े तक कई चोट के निशान।

(3) चेहरे के दाहिने हिस्से पर कई चोट के निशान।

(4) सूजन 1" x 1" बायीं कोहनी"

उन्होंने कहा कि चोट की उम्र छह घंटे के भीतर और चोट का कारण-नरम कुंद पदार्थ है। चोट की प्रकृति सरल है। उन्होंने गवाही दी कि चोट की रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई है और उन्होंने अपने प्रारंभिक हस्ताक्षर किए हैं और उनकी पहचान पर, **प्रदर्श संख्या-3/1** के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

उसी दिन, पी.डब्लू.-5 डॉ. राज किशोर राजू ने घायल नीतीश कुमार (पी.डब्लू.-2) की भी जांच की तथा उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

"एमआई बाएं हाथ के तर्जनी और अंगूठे के जोड़ पर पुराना निशान।

डीआई (2) घर्षण-बाईं आंख के पार्श्व में"।

उन्होंने कहा कि चोट की आयु छह घंटे के भीतर तथा कठोर कुंद पदार्थ के कारण हुई है तथा चोट की प्रकृति सरल है। उन्होंने कहा कि चोट की रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई है तथा उन्होंने उस पर अपने प्रारंभिक हस्ताक्षर किए हैं, जो उनकी पहचान पर **प्रदर्श संख्या-3/2** के रूप में प्रदर्शित होता है।

29.1. जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्हें धातु की गोली सौंपते समय पुलिस से रसीद मिली थी और उसे उनके कार्यालय में सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने आगे बताया कि चोट नंबर 1 किसी भी व्यक्ति द्वारा पहुंचाई जा सकती है, चाहे वह व्यक्ति दाहिनी ओर से हो। उन्होंने कहा कि तलवार से घर्षण नहीं किया जा सकता। खरोंच और सूजन सतही चोटें हैं।

30. अभि0 7, ओम प्रकाश सिंह हैं, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं तथा घटना की तिथि को लहेरी पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. के रूप में पदस्थापित थे। उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्हें लगभग 11.00 बजे रात्रि में सूचना मिली कि रामचन्द्रपुर मछली मार्केट/राधिका होटल के पास किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है तथा उक्त सूचना पर वे ए.एस.आई. राम नरेश साह एवं अन्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों के साथ राधिका होटल के पास गए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किसी ने *बाराती* अनिल कुमार सिंह पर गोली चलाई है तथा अजंता सिनेमा हॉल की ओर भाग गया है। उन्होंने कुछ बाराती सदस्यों के साथ आरोपियों का पीछा किया जिस दिशा में वे भाग रहे थे तथा वाहन की रोशनी में देखा कि तीन व्यक्ति आगे भाग रहे हैं, जिनकी पहचान *बाराती* सदस्यों एवं सूचक (अभि0 6) द्वारा मृतक पर गोली चलाने वाले व्यक्तियों के रूप में की गई तथा उसके पश्चात पुलिस कर्मियों ने थोड़ी दूर तक पीछा करने के पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों लोगों ने घटना में शामिल होने और गोलीबारी में शामिल होने की बात स्वीकार की। पूछताछ में पकड़े गए सह-आरोपी ने अपना नाम धर्मवीर कुमार (अपीलार्थी) पुत्र राम प्रवेश शर्मा, निवासी लोन, थाना-नालंदा, जिला-नालंदा बताया, जिसने बताया कि वह वर्तमान में बिहारी महतो नामक व्यक्ति के यहां किराएदार के रूप में भैसासुर मोहल्ले, थाना-लहेरी, जिला-नालंदा में रहता है। जिस पर *बाराती* और सूचक (पीडब्लू-6) ने बताया कि उसने

अनिल कुमार सिंह पर गोली चलाई। अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों में इंद्रजीत कुमार, पुत्र साधु ठाकुर, गांव-लोना, थाना-नालंदा, जिला-नालंदा का निवासी है, जो भैसासुर में बिहारी महतो नामक व्यक्ति का किरायेदार बताया गया है, वहीं तीसरे गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम बिपिन कुमार, पुत्र अवधेश शर्मा, गांव-लोना, थाना-नालंदा, जिला-नालंदा का निवासी बताया। उसके द्वारा कहा गया कि घटना के दौरान, गिरफ्तार सह-अभियुक्त इंद्रजीत कुमार ने भी हमला किया और उसे चोटें आईं। उसके द्वारा यह बयान दिया गया कि उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार के शरीर की जांच की और पाया कि वह फुल शर्ट पहने हुए था, जो उसके दाहिने कंधे पर खून लगा हुआ था, उसकी शर्ट की जेब भी फटी हुई थी, जिसे वहां पीडब्लू-1 श्रीनिकेतन कुमार और पीडब्लू-2 नीतीश कुमार के समक्ष जब्त कर लिया गया, जिसे लहेरी पुलिस स्टेशन के एएसआई राम नरेश साह ने उनके निर्देश पर तैयार किया, जिसे उन्होंने ट्रायल के दौरान पहचाना और उनकी पहचान के आधार पर इसे **प्रदर्श संख्या 6** रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने श्रीनिकेतन कुमार (पीडब्लू-1) और नितीश कुमार (पीडब्लू-2) के हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो पहले से ही **क्रमशः प्रदर्श संख्या 1 और 1/1** के रूप में प्रदर्शित थे। उन्होंने सूचक (पीडब्लू-6), अर्थात् शैलेन्द्र कुमार का बयान 02.05.2014 को लगभग 11:15 बजे राधिका होटल के सामने नितीश कुमार (पीडब्लू-2) की उपस्थिति में दर्ज किया, जिसे पढ़कर सुनाया गया और उन्हें समझाया गया, जो सही पाए जाने पर उनके और नितीश कुमार (पीडब्लू-2) के द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने न्यायालय के समक्ष उक्त *फर्दबयान* की पहचान की, जो उनकी लिखावट में था और उनकी पहचान करने पर उसे **प्रदर्श संख्या-7** के रूप में प्रदर्शित किया गया। शैलेन्द्र कुमार (पीडब्लू-6) और नितीश कुमार (पीडब्लू-2) के हस्ताक्षर पहले से ही प्रदर्श संख्या **4 और 4/1** के रूप में प्रदर्शित थे। उन्होंने घटनास्थल से ही जांच शुरू की। उन्हें घटनास्थल पर खून के कुछ बिखरे हुए धब्बे मिले, जो एकत्र करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सूचक (पीडब्लू-6) और नीतीश कुमार (पीडब्लू-2) का बयान दर्ज किया और उसके बाद सदर अस्पताल, बिहारशरीफ गए, जहां उन्होंने मृतक अनिल कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसे बिहार पुलिस थाने में एएसआई संतोष कुमार रजक द्वारा तैयार किया गया था, जिनकी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की जा सकी थी। उन्होंने संतोष कुमार रजक के हस्तलेख और हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान करने पर **प्रदर्श संख्या-8** के रूप में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने मृतक अनिल कुमार सिंह की खून से सनी सफेद शर्ट को भी जब्त कर लिया और अंजू कुमार (पीडब्लू-3) और पप्पू कुमार (पीडब्लू-4) की उपस्थिति में एएसआई राम नरेश साह द्वारा इसकी जब्ती तैयार की गई, जिनसे भी मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं हो सकी। उन्होंने उक्त जब्ती सूची की पहचान की, जो 03.05.2014 को 12:35 बजे तैयार की गई थी और उनकी जांच करने पर **प्रदर्श संख्या 9** के रूप में प्रदर्शित हुई। गवाहों के हस्ताक्षर पहले ही अदालत के समक्ष **प्रदर्श संख्या 2 और 2/1** के रूप में प्रदर्शित किए जा चुके हैं। उन्होंने गवाह नीतीश कुमार (पीडब्लू-2) और आरोपी इंद्रजीत कुमार की चोट रिपोर्ट भी तैयार की और उसके बाद तीन गिरफ्तार सह-आरोपियों और जब्ती सूची के साथ, वे 03.05.2014 को लगभग 1:00 बजे पुलिस स्टेशन आए और औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच शुरू की गई थी, जिसे आईपीसी की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 03.05.2014 को लाहेरी पी.एस. केस नंबर 114/2014 के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने औपचारिक प्राथमिकी पर अपनी लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे उनकी पहचान करने पर **प्रदर्श संख्या-10** के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने नीतीश कुमार (पीडब्लू-2) की चोट रिपोर्ट और मृतक अनिल कुमार सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त की।

30.1 जिरह के दौरान उन्होंने बताया कि औपचारिक एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपी/अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार और मृतक अनिल कुमार सिंह के कपड़े जब्त कर लिए गए थे। दोनों शर्ट खून से सनी हुई पाई गई थी, जिसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पटना (संक्षेप में 'एफएसएल') भेजा गया था, जहां जांच के दौरान उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि केस डायरी में यह उल्लेख नहीं है कि खून से सनी दोनों शर्ट को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल की व्याख्या करते समय उन्होंने यह नहीं बताया कि खून के धब्बे जमीन पर फैले हुए थे, जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। वे रात में घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वहां रोशनी थी या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केस डायरी में यह उल्लेख नहीं किया कि उन्हें फायरिंग के संबंध में सूचना किससे मिली। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले घायल नीतीश कुमार (पीडब्लू-2) और सूचक (पीडब्लू-6) का बयान भी दर्ज किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पकड़े गए सह-आरोपियों से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और उन्हें घटनास्थल के पास भी कोई हथियार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि घटनास्थल बहुत व्यस्त सड़क है, लेकिन रात में नहीं। उन्होंने कहा कि रामचंद्रपुर निजी बस स्टैंड घटनास्थल से एक किमी की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि रात होने के कारण आसपास के इलाकों के कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए बारातियों को पूछताछ, चोट और जब्ती सूची में गवाह बनाया गया। उन्होंने कहा कि अजंता सिनेमा हॉल घटनास्थल और रामचंद्रपुर बस स्टैंड के बीच में है। उन्होंने कहा कि पीडब्लू-1, अर्थात् श्रीनिकेतन कुमार ने उनके सामने कभी यह बयान नहीं दिया कि छह में से तीन आरोपियों की पहचान उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ही की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू-1 ने जांच के दौरान उनके सामने कभी यह बयान नहीं दिया कि दो व्यक्ति तलवार से लैस थे और यह भी बयान नहीं दिया कि यह सह-आरोपी बिपिन था, जिसने पीडब्लू-2 पर

हमला किया था, नीतीश कुमार पर तलवार से हमला किया, जो उनकी बायीं आंख के पास लगी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस गवाह ने जांच के दौरान कभी यह नहीं बताया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार ने मृतक अनिल कुमार सिंह के सिर पर पिस्तौल रखकर गोली चलाई थी, लेकिन बाद में उसने गवाही दी कि यह तथ्य उसके द्वारा कहा गया था। उन्होंने 03.05.2014 को लगभग 1:30 बजे अस्पताल में अनुज कुमार (पीडब्लू-3) का बयान दर्ज किया, जिसने उनके सामने यह नहीं बताया कि घटना के समय वह राधिका होटल के पास था, जो रामचंद्रपुर बस स्टैंड के पास है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पीडब्लू-3 ने जांच के दौरान कभी यह नहीं कहा कि 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने नालंदा महिला कॉलेज के पास बारातियों पर हमला किया, बल्कि कहा कि वहां अशांति थी। उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्हें याद नहीं है कि सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर जाने से पहले उन्होंने पुलिस थाने में प्रवेश का उल्लेख किया था या नहीं।

31. अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अपने बचाव में दो गवाहों, कमलेश कुमार को डीडब्लू-1 और इंद्रजीत कुमार को डीडब्लू-2 के रूप में पेश किया। इन दोनों गवाहों की चर्चा तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचाव पक्ष के गवाहों में से एक इंद्रजीत कुमार भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक था और उसे घटना के दौरान चोट लगी थी।

32. डीडब्लू-1, कमलेश कुमार ने घटना का चश्मदीद होने का दावा करते हुए कहा कि जब *बारात* अजंता सिनेमा हॉल के पीछे से गुजर रही थी, इसी दौरान 2-4 लोग *बारात* में घुस आए और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जिसमें इंद्रजीत (पकड़े गए आरोपियों में से एक/डीडब्लू-2) भी वहां से गुजर रही बारात में शामिल था, उसे चोटें आईं। उसे अपीलकर्ता/आरोपी धर्मवीर कुमार ने उठाया, जो कि *बारात* में शामिल था और घायल इंद्रजीत कुमार को

कंधे पर उठाकर बारात से बाहर निकल गया। पुलिस उसी समय पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर ले गई।

32.1. जिरह के दौरान उसने बताया कि वह सह-आरोपी में से एक का भाई है। अपीलकर्ता उसका चचेरा भाई भी है और इंद्रजीत/डीडब्लू-2 भी है। उसने बताया कि पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों धर्मवीर, इंद्रजीत और बिपिन को रामचंद्रपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया।

33. डीडब्लू-2 इंद्रजीत कुमार है, जो घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्तों में से एक है। उसने बताया कि घटना के दौरान उसके सिर और ठोड़ी पर खून बहने की चोट लगी थी। अपीलकर्ता/अभियुक्त ने उसे कंधे पर उठा लिया था, जिसके कारण उसकी शर्ट उसके बाएं कंधे पर खून के धब्बे से भर गई थी। उसने अपना रक्त समूह जांचा, जो 'ओ'-पॉजिटिव पाया गया और इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श-ए के रूप में प्रदर्शित किया गया। सदर अस्पताल में बेहोशी की हालत में उसका इलाज किया गया। उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे और जब उसे होश आया, तो सुबह 4-5 बजे के बीच उसे लहेरी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उसने पाया कि धर्मवीर और बिपिन पुलिस लॉकअप में थे। उसने बयान दिया कि पुलिस ने सुबह उसके खून से सने कपड़े ले लिए, लेकिन बाद में उसने बयान दिया कि उसे याद नहीं है कि पुलिस ने कपड़ा लिया या नहीं। उसे जूते और स्लीपर से मारा गया था। उसे घटना के दौरान हमला करने वाले हमलावरों के नाम और पते के बारे में पता नहीं है। उनका रक्त परीक्षण पार्वती लैब में डॉ. एन. कुमार द्वारा किया गया (जांच नहीं की गई)।

34. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि पी.डब्लू.-6/सूचनाकर्ता के बयान तथा पी.डब्लू.-7/जांच अधिकारी के बयान के आधार पर संबंधित एफ.आई.आर. (प्रदर्श संख्या-10) तब दर्ज की गई थी, जब

अपीलकर्ता/अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त इंद्रजीत और बिपिन को पकड़ा गया था तथा उनके समक्ष वर्तमान घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। पी.डब्लू.-6 के बयान के अनुसार, पुलिस थाने में पूछताछ तथा पहचान की गई, तत्पश्चात उसे घटनास्थल पर लाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया। पी.डब्लू.-6 की मुख्य जांच से यह पता चलता है कि जब अभियुक्त/अपीलकर्ता को घटनास्थल पर लाया गया, तो उसने अपना नाम धर्मवीर कुमार बताया, जहां उसे पता चला कि यह वही व्यक्ति है, जिसने उसके भाई अनिल कुमार सिंह (मृतक) पर गोली चलाई थी। निश्चित रूप से, उनके बयान के अनुसार, उनका औपचारिक बयान अपीलकर्ता/आरोपी की गिरफ़्तारी के कुछ घंटों बाद दर्ज किया गया था, लेकिन, उन्होंने औपचारिक एफ़आईआर (प्रदर्श-4) में कोई विशेष आरोप नहीं लगाया कि यह अपीलकर्ता/आरोपी ही था, जिसने मृतक के भाई के सिर पर पिस्तौल रखकर गोली चलाई थी। इससे यह भी संदेह पैदा होता है कि अपीलकर्ता/आरोपी के साथ सह-आरोपी व्यक्तियों की पहचान पहले से ही घटनास्थल पर ही कर ली गई थी, तो फिर कैसे और किस परिस्थिति में दीप नगर पुलिस स्टेशन में टीआईपी आयोजित की गई। इन बुनियादी विरोधाभासों ने गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पहचान के संबंध में गंभीर संदेह पैदा किया, विशेष रूप से पी.डब्लू.-6/सूचनाकर्ता के स्वयं के बयान के मद्देनजर कि अपीलकर्ता सहित अभियुक्तों को बारात के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया था, जैसा कि उसने अपने जिरह में कहा था, जहां उसने कहा था कि अभियुक्तों को गोलीबारी के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान का खंडन करता है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की गिरफ्तारी पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों द्वारा की गई थी।

समापन टिप्पणी:

35. यह सुस्थापित कानून है कि किसी भी घटना में घायल गवाह का बयान साक्ष्य के रूप में बहुत अधिक मूल्यवान होता है और उसे तब तक लापरवाही और

यांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि अविश्वास करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियाँ न हों।

36. **खेमा उर्फ खेम चंद्र और अन्य** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी रिपोर्ट के पैरा-23 और 24 का संदर्भ देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

> *"23.* इस न्यायालय ने, *वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 13] के प्रसिद्ध मामले में ,* इस प्रकार टिप्पणी की है:
>
> > "11. ... इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और सुस्थापित नियम है कि न्यायालय को किसी तथ्य को साबित करने या अस्वीकृत करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता से सरोकार होता है। सामान्यतः, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:
> >
> > (1) पूर्णतः विश्वसनीय।
> >
> > (2) पूर्णतः अविश्वसनीय।
> >
> > (3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय।
> >
> > 12. सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए- यह एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकता है या बरी कर सकता है, अगर यह पाया जाता है कि यह निंदा या हित, अक्षमता या दलाली के संदेह से परे है। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। यह तीसरी श्रेणी के मामलों में है, जहां न्यायालय को सावधान रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।
> >
> > 24. हम पाते हैं कि इंदर (पीडब्लू 2) की गवाही तीसरी श्रेणी में आती है, यानी उसके साक्ष्य को "न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह

से अविश्वसनीय" कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह आवश्यक होगा कि उसकी प्रत्यक्ष गवाही की कुछ पुष्टि हो।"

37. पीडब्लू-2 के बयान से, जो घटना का एकमात्र घायल अभियोजन पक्ष का गवाह है, ने अपनी जिरह में कहा कि तलवार की चोट लगने के बाद उसे दर्द हुआ और डर के मारे वह *बारात* के जुलूस की आखिरी पंक्ति में चला गया और इसी बीच गोलीबारी हुई। भगदड़ जैसी स्थिति के कारण बारात के विभिन्न सदस्य भी तितर-बितर हो गए। इसके बाद, वे घटनास्थल पर एकत्र हुए। इसके मद्देनजर, इस गवाह का बयान, जो घटना का चश्मदीद गवाह है, विशेष आरोप के संबंध में है कि अपीलकर्ता/आरोपी ने अनिल कुमार सिंह (मृतक) की गोली मारकर हत्या कर दी, संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि यह **खेमा मामले** (उपरोक्त) के कानूनी अनुपात के अनुसार न तो पूरी तरह विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय है और, इस तरह, कुछ और पुष्टि की आवश्यकता है पीडब्लू-2 और मुखबिर (पीडब्लू-6) और जांच अधिकारी (पीडब्लू-7) सहित अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान के मद्देनजर यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि अपीलकर्ता/आरोपी के कब्जे से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ। पीडब्लू-7, जांच अधिकारी को घटनास्थल के पास कोई हथियार नहीं मिला। इसलिए, उपर्युक्त तथ्यात्मक परिदृश्य में, जहां अपीलकर्ता/आरोपी को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, इस मामले में हत्या के हथियार यानी पिस्तौल का न मिलना अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा कर रहा है। इसके अलावा, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एफआईआर में, पीडब्लू-6/मुखबिर ने विशेष रूप से कहा है कि सह-आरोपी व्यक्ति जो अलग-अलग दिशा में अलग-अलग समूह में भाग गए थे, उनके हाथ में केवल हथियार थे।

38. **राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-27 और 32 का संदर्भ देना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

> "27. *मुन्ना लाल बनाम यूपी राज्य* [(2023) 18 एससीसी 661] में , इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की थी कि चूंकि उस मामले में अपराध का कोई हथियार जब्त नहीं किया गया था, इसलिए कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं मांगी गई और न ही प्राप्त की गई। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपराध के हथियार को जब्त करने में विफलता से अभियोजन पक्ष की कहानी को इतना प्रभावित किया कि इसके साथ ही महत्वपूर्ण गवाहों की जांच न करना अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने के लिए अन्य परिस्थितियों के अलावा एक महत्वपूर्ण परिस्थिति बन गई।
>
> xxx xxx xxx
>
> 32. इस न्यायालय ने अपराध के हथियार को बरामद करने में अभियोजन पक्ष की विफलता और *गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [(2022) 12 एससीसी 677] में बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करने के मुद्दे पर विचार किया। उस मामले में, मृतक को प्रवेश और निकास के बिंदु पर गोली लगी थी। उस मामले में, अभियोजन पक्ष ने तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर भरोसा किया था, जिन्हें विश्वसनीय पाया गया था। इसलिए, अपराध के हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन पक्ष के मामले की साख पर असर नहीं पड़ेगा। पिछले निर्णयों का हवाला देने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों में, बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट पेश करने में विफलता, जो किसी विशेष हथियार से होने वाली घातक चोटों की गवाही दे सके, प्रत्यक्ष गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"

39. पीडब्लू-1 अर्थात् श्रीनिकेतन कुमार, जो घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहा है, अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों अर्थात् पीडब्लू-2, 3 और 7 के बयान का खंडन करते हुए, जो घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहे हैं, ने कहा कि मृतक के सामने से गोली चलाई गई थी, जिससे यह संदेह भी पैदा होता है कि इस तरह की गोली से मृतक के कनपटी पर चोट कैसे लगी। हालांकि, उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक के दाहिने कनपटी पर अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा गोली चलाई गई थी। उसके बयान से यह भी पता चलता है कि पुलिस उसके सहित *बारात* के सदस्यों द्वारा उठाए गए अलार्म पर घटना स्थल पर आई थी, जबकि पीडब्लू-7 अर्थात् इस मामले के जांच अधिकारी ने मुकदमे के दौरान कहा कि उसे घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब वह पुलिस स्टेशन में बैठा था।

40. पी.डब्लू. 6/सूचनाकर्ता के बयान से यह प्रतीत होता है कि जब उसके भाई पर गोली चलाई गई, तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर था, जो कि एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्लू.-1 श्रीनिकेतन कुमार के बयान के विपरीत है, जिसने कहा कि उसका चेहरा पूर्व दिशा में था। उसके द्वारा यह कहा गया कि गोली सिर के अंदर रह गई, जो कि पी.डब्लू.-5 डॉ. राज किशोर राजू के बयान से भी पुष्ट होता है, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने गोली के सिर के पदार्थ को दाहिनी गुहा की टेम्पोरल हड्डी से बरामद किया था, लेकिन एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्लू.-3 अनुज कुमार के बयान के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मृतक के सिर को पार करते हुए बाहर निकल गई, जिससे बंदूक की गोली से लगी चोट के तरीके के बारे में एक और अलग विरोधाभासी बयान सामने आता है।

41. इस मामले के सूचक पीडब्लू-6 के बयान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दीप नगर थाने में एक टीआईपी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी/अपीलकर्ता की उपरोक्त पहचान ने घटना स्थल से भागते समय उसकी

गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस के समक्ष उसका नाम उजागर कर दिया। यह भी प्रतीत होता है कि टीआईपी कानून के स्थापित स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार नहीं की गई थी और इस प्रकार, उक्त टीआईपी से कोई भी पहचान कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है।

42. **गिरीस्सन नायर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** (उपरोक्त) के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-55 का संदर्भ देना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> "**55.** इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने *चुन्थूराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य* [(2020) 10 एससीसी 733] में, *रामकिशन मिठनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य* [एआईआर 1955 एससी 104] पर भरोसा करते हुए माना है कि पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में टीआईपी में गवाहों द्वारा की गई कोई भी पहचान धारा 162 सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों के बराबर है। न्यायालय ने माना:
>
> > "11. अब परीक्षण पहचान परेड के संचालन में खामियों की जांच की जाएगी। इस अभ्यास में सबसे बड़ी खामी अभ्यास के दौरान पुलिस की मौजूदगी थी। जब पहचान पुलिस की मौजूदगी में की जाती है, तो परिणामी संचार जांच के दौरान पहचानकर्ताओं द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों के बराबर होता है और वे संहिता की धारा 162 के प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं।"

43. अपील के तहत आरोपित फैसले से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और मृतक के खून से सने कपड़ों की एफएसएल रिपोर्ट ही दोषसिद्धि का प्रमाण है, जिसे प्रदर्श संख्या-11 के रूप में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट की सामग्री को साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान किसी अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच नहीं की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि

उसी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 294 के प्रावधान के तहत पढ़ा गया था। एफएसएल रिपोर्ट/सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि मृतक अनिल कुमार सिंह की शर्ट पर खून लगा हुआ था, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार की शर्ट पर जगह-जगह खून पाया गया, जो मानव का और ब्लड ग्रुप-'ओ' का था। जब्ती सूची (प्रदर्श संख्या-9) के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक अनिल कुमार सिंह की शर्ट खून से सनी हुई थी और उसका रंग सफेद था। यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इसे जला दिया गया था, लेकिन सीरोलॉजिकल एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-11/1) से, ऐसा प्रतीत होता है कि पैकेट मार्क-बी में **'एक पुरानी गंदी जली हुई सफेद नीली धारीदार शर्ट'** थी, जिसे **"उजाला धारीदार शर्ट"** कहा गया जब्ती सूची में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि मृतक अनिल कुमार सिंह की शर्ट जली हुई पाई गई थी, जबकि उसे जब्त किया गया था, जिससे मृतक की शर्ट की जब्ती संदिग्ध हो गई, जबकि एफएसएल के सभी परिणामी निष्कर्ष संदिग्ध थे।

44. यह भी प्रतीत होता है कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि अपीलकर्ता/अभियुक्त के कपड़ों पर लगा खून भी रक्त समूह 'ओ' का था, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह माना कि फायरिंग केवल इस अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा की गई थी, जिससे अनिल कुमार सिंह की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून करीब से फायरिंग के कारण खून बहने के कारण आया हो सकता है, जो कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा समर्थित नहीं प्रतीत होता है।

45. इस संदर्भ में, यह सुझाव देना महत्वपूर्ण है कि मुकदमे के दौरान किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने यह नहीं कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता मृतक अनिल कुमार सिंह के शारीरिक संपर्क में आया था, बल्कि यह कहा गया कि गोली लगने के तुरंत बाद वह जमीन पर गिर गया था। मुकदमे के दौरान किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने यह

नहीं कहा कि अपीलकर्ता द्वारा चलाई गई गोली से लगी चोट से जबरदस्ती खून बहकर अपीलकर्ता/अभियुक्त की शर्ट पर आ गया था। इसलिए, अभियोजन पक्ष प्राथमिक रूप से यह मानने में विफल रहा कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की शर्ट पर खून के धब्बे कैसे आए, और इस संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष **"होना चाहिए"** के बजाय **"हो सकता है"** के सिद्धांत को आयात करके पूरी तरह से काल्पनिक आधार पर प्रतीत होता है।

46. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निष्कर्ष को बेहतर ढंग से समझने के लिए तथा बचाव पक्ष के कथन को स्वीकार न करने के कारण को समझने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के पैरा 89 और 90 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो पूर्णतः काल्पनिक आधार पर प्रतीत होता है तथा आपराधिक न्यायशास्त्र के सभी मूल सिद्धांतों की अवहेलना करता है कि अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेहों से परे अपने मामले को स्थापित करना है, जो इस प्रकार है:-

> *" 89. यहाँ बचाव पक्ष ने अपना बचाव पक्ष बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सच्चाई बहुत गहरी है और इसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता या बचाव पक्ष की मनगढ़ंत कहानी से नहीं छिपाया जा सकता। यह ठीक ही कहा गया है कि झूठ की कोई कीमत नहीं होती और बचाव पक्ष की दलील में यह झूठ निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट होता है: **सबसे पहले,** इस तथ्य को देखते हुए कि बचाव पक्ष ने समानांतर बारात के सबूत के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है और बचाव पक्ष ने यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि बचाव पक्ष की समानांतर बारात में झगड़े के समय आरोपी धर्मवीर कुमार कहाँ था और आरोपी धर्मवीर कुमार अपने भाई इंद्रजीत कुमार को अपने कंधे पर बिठाने के लिए फिल्मी दृश्य की तरह नाटकीय तरीके से घटनास्थल पर अचानक कैसे आ सकता है। **दूसरे,** बचाव पक्ष का*

यह दावा कि आरोपी धर्मवीर कुमार को उसके घायल भाई को ले जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जांच अधिकारी की लगातार गवाही के मद्देनजर पूरी तरह से झूठा है, जिसने यह गवाही दी है कि आरोपी और अन्य दो व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष के मामले की कथित घटना के बाद भागते समय पकड़ा गया था। बचाव पक्ष का यह दावा कि इंद्रजीत कुमार का खून धर्मवीर कुमार की शर्ट पर इसलिए आया क्योंकि वह उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, भी झूठा है क्योंकि चोट रिपोर्ट के अनुसार जो कि एक्सटेंशन 3/1 है, इंद्रजीत कुमार को साधारण खरोंच आई थी, जो आरोपी धर्मवीर कुमार की शर्ट पर जगह-जगह खून के धब्बे नहीं होने दे सकती, जो कथित तौर पर उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। ***तीसरा,*** *बचाव पक्ष के इस कथन को भी फिलहाल सच मान लेना कि आरोपी घायल इंद्रजीत कुमार को उठाकर ले जा रहा था और इस तरह इंद्रजीत कुमार का खून धर्मवीर कुमार की शर्ट पर आया, तर्क के मुताबिक नहीं है क्योंकि चोट रिपोर्ट के अनुसार इंद्रजीत कुमार के चेहरे पर केवल खरोंच थी और यह खरोंच ठोड़ी पर या उसके आसपास नहीं पाई गई थी और जब किसी व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जाया जाता है, तो अधिक से अधिक उसकी ठोड़ी उसे ले जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूती है। इस प्रकार आरोपी धर्मवीर कुमार की शर्ट पर इंद्रजीत कुमार के खून के धब्बे होने की कोई संभावना नहीं थी। वैसे भी अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि इंद्रजीत कुमार का खून धर्मवीर कुमार की शर्ट पर आया जो उसे ले जा रहा था, तो यह फिर से मानवीय समझ के खिलाफ है कि इंद्रजीत कुमार का खून धर्मवीर कुमार की शर्ट पर अलग-अलग जगहों पर कैसे आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यह एक ही जगह पर आया होगा।* ***चौथा,*** *बचाव पक्ष की दलील इस तथ्य के मद्देनजर भी विश्वसनीय नहीं है कि बाहरी बदमाशों के हाथों*

समानांतर बारात में कथित तौर पर हुए हमले के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

90. मैं यह भी पाता हूं कि निर्विवाद रूप से किसी भी गवाह की अभियुक्त के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जिससे उसे झूठा फंसाया जा सके। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से मुझे पता चलता है कि बचाव पक्ष ने अभियुक्तों और पीडब्लू के बीच दुश्मनी के संबंध में कोई सुझाव तक नहीं दिया है, इस संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना तो दूर की बात है, मुझे यह भी पता चलता है कि गैर-सरकारी गवाह/चश्मदीद गवाह सुसंगत और विश्वसनीय हैं, हालांकि उनमें कुछ विसंगतियां यहां-वहां पाई जा सकती हैं जो सच्चे गवाहों के मामले में भी स्वाभाविक हैं। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और उनके मूल्यांकन को समग्रता में देखते हुए इस आरोप के संबंध में कोई उचित संदेह नहीं है कि मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त धर्मवीर कुमार ने पीड़ित अजय कुमार सिंह की अपनी पिस्तौल से हत्या की है और घटना और पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बीच के समय अंतराल में अवसर पाकर पिस्तौल को फेंक दिया है। <u>बचाव पक्ष अपनी दलील साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।</u> इसलिए, मैं मानता हूं कि आरोपी धर्मवीर कुमार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

(जोर देने के लिए रेखांकित करें)

47. विद्वान विचारण न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त इंद्रजीत कुमार की चोट, जिसे बचाव पक्ष के अनुसार अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा घटनास्थल से दूर ले जाया गया था, को विद्वान विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-5 डॉ. राज किशोर राजू के निष्कर्ष के विपरीत पढ़ा, जिन्होंने

गिरफ्तारी के तुरंत बाद सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में उसकी जांच की थी। उक्त चोट रिपोर्ट के अनुसार, जो प्रदर्श संख्या-3/1 है, उस पर निम्नलिखित चोटें देखी गईं:-

(1) बायीं ऊपरी और निचली पलक पर सूजन;

(2) चेहरे के बायीं ओर जबड़े तक कई चोट के निशान;

(3) चेहरे के दायीं ओर कई चोट के निशान; और

(4) बायीं कोहनी पर 1″ x 1″ की सूजन।

48. हम यह समझने में विफल रहे कि कैसे विद्वान विचारण न्यायालय ने यह दर्ज किया कि इंद्रजीत कुमार को साधारण खरोंच लगी थी, जो आरोपी/अपीलकर्ता धर्मवीर कुमार की शर्ट के स्थानों पर खून के धब्बे नहीं हो सकते। बचाव पक्ष का कथन भी इस अनुमान के आधार पर अविश्वास करता प्रतीत होता है कि चूंकि ठोड़ी पर और उसके आस-पास कोई खरोंच नहीं थी, इसलिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाएगा तो कम से कम उसकी ठोड़ी उसे उठाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगी। यह गलत परिप्रेक्ष्य में पढ़ा गया प्रतीत होता है, क्योंकि सह-आरोपी इंद्रजीत कुमार के चेहरे पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चेहरे के बाएं हिस्से पर (निचले जबड़े) तक कई चोट के निशान और चेहरे के दाहिने हिस्से पर कई चोट के निशान हैं, साथ ही अन्य सूजन वाली चोटें भी हैं।

49. हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत हैं कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की शर्ट पर लगे रक्त समूह का मृतक के रक्त समूह से मिलान करने के बारे में सबसे अधिक दोषपूर्ण साक्ष्य अपीलकर्ता अभियुक्त को धारा 313 के तहत उसकी जांच करते समय नहीं समझाया गया था और केवल इसी आधार पर, दोषसिद्धि का विवादित निर्णय रद्द किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 से यह भी प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने फायरिंग के साक्ष्य को सामान्य फायरिंग के मामले के रूप में पढ़ा, जो मृतक अनिल कुमार सिंह के दाहिने कान पर लगी थी, इस

साक्ष्य के विपरीत कि अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर मृतक के कनपटी पर पिस्तौल रखकर फायर किया गया था। इसी तरह, प्रश्न संख्या 6 ट्रायल के दौरान सामने आए साक्ष्य के विपरीत तैयार किया गया क्योंकि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि बारात के सदस्यों और पुलिस दोनों ने अपीलकर्ता का पीछा किया और उन्हें संयुक्त रूप से पकड़ लिया।

50. पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त/अपीलकर्ता के बयान को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

1. प्र0 - आपने गवाहों की गवाही सुना है ?

उ0- जी हाँ

2. प्र0- आपके विरूद्ध आरोप है एवं अभियोजन साक्षियों का कहना है कि दि0 02-5-14 की रात्रि करीब 10-11 बजे राधिका होटल के पास, महल्ला- रामचन्द्रपुर, थाना- लहेरी, जिला- नालंदा में, वादी शैलेन्द्र कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार सिंह को गोली मार कर हत्या कर दिया था, क्या कहना है ?

उ0- आरोप एवं साक्ष्य गलत है।

3- प्रश्नः- आपके विरूद्ध शिवनिकेतन कुमार, नीतिश कुमार, अनुज कुमार, पप्पु कुमार तथा वादी शैलेन्द्र कुमार का कथन है कि दिनांक 02-05-14 को महल्ला- खन्दक पर से बारात राधिका होटल के लिए, 9 बजे रात्रि में प्रस्थान किया था तथा बारात पार्टी में डीजे बाजा के साथ नाचते-गाते गवाहान एवं मृतक अनिल कुमार सिंह साथ अन्य लोग साथ चल रहे थे ?

उ0- मुझे नहीं मालुम।

4. प्रश्नः- आपके विरूद्ध साक्षियों का यह भी कथन है कि नाचते-गाते डीजे बाजा के साथ बारात बिहारशरीफ पोस्टआफिस महिला कालेज के पास पहुंची तो आपने अन्य साथी के साथ मिलकर बारात को बाधित करने लगे तथा

बारात पार्टी द्वारा विरोध करने पर धमकी देते हुए कहकर चले गए कि आगे जाकर बताते हैं ?

उतर- आरोप एवं साक्ष्य झुठा है। मैंने बारात देखा तक नहीं है।

5. प्रश्नः- आपके विरूद्ध साक्षियों का कहना है कि ज्योंहि बारात पार्टी आगे बढ़ते हुए राधिका होटल रामचन्द्रपुर के पास सड़क पर पहुंची तो आप सहीत 6-7 की संख्या में अपराधी लोग डंडा, पिस्तौल एवं तलवार लेकर बारात पार्टी को बाधित करने लगे तथा अनिल कुमार सिंह जो फौजी सिपाही थे, अपने शाला की शादी में शामिल होकर बारात के साथ चल रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो आप एवं आपके अन्य साथी मिलकर तलवार, डंडा एवं पिस्तौल लेकर हत्या के नीयत से बारात पार्टी पर हमला बोल दिया, जिसमें आपके द्वारा चलाया गया गोली से अनिल कुमार सिंह को दाएं कान के पास गोली लगी जिससे वे जख्मी होकर गिर गए एवं उनकी मृत्यु हो गई जिसका समर्थन डाक्टर साक्षी राज-किशोर राजु ने किया है कि मृतक अनिल कुमार सिंह की मृत्यु दाहिने कान के पास गोली लगने से हुई है ?

उ0- आरोप एवं साक्ष्य गलत है।

6. प्रश्नः- आपके विरूद्ध साक्षियों का यह भी कथन है कि आप दि0 2-5-14 को रात्रि में घटना को अंजाम देने के बाद आप एवं आप के साथी इन्द्रजीत कुमार एवं विपीन कुमार को पुलिस एवं बारात पार्टी द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया था तथा पुलिस ने हिरासत में लेकर अनुसंधान शुरू किया था ?

उ०- आरोप एवं साक्ष्य गलत है।

7. प्रश्नः- सफाई में कुछ कहना है?

उ० - निर्दोष हूँ। सफाई साक्ष्य दूँगा।

51. **सुखजीत सिंह केस** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

"**10.** धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछे गए सवालों की गहन जांच करने पर, हम पाते हैं कि सवाल पूछते समय आरोपी के ध्यान में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं लाई गई है। श्री तलवार ने प्रस्तुत किया है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत लगाई गई आवश्यकता एक खाली औपचारिकता नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य [(2009) 6 एससीसी 595] में प्राधिकरण से प्रेरणा ली है। उसी पर भरोसा करते हुए, वह तर्क देंगे कि जब धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी को आपत्तिजनक सामग्री नहीं दी गई है, तो यह विचारण न्यायालय की ओर से गंभीर चूक के बराबर है, जिससे कानून में दोषसिद्धि को गलत ठहराया गया है।

11. इस संदर्भ में, हम तारा सिंह बनाम राज्य [1951 एससीसी 903] में चार न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें, न्यायमूर्ति बोस ने संहिता की धारा 342 के उस समय के ईमानदारी और निष्पक्ष अनुपालन के महत्व को समझाते हुए इस प्रकार राय व्यक्त की थी:

> "30. मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने के महत्व पर बहुत जोर नहीं दे सकता। प्रतिबद्ध न्यायालय में पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों की एक लंबी श्रृंखला को पढ़ना और यह पूछना कि क्या कथन सही है, उचित अनुपालन नहीं है। इस तरह का प्रश्न भ्रामक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि रिकॉर्डिंग सही है या नहीं, या दिए गए उत्तर सत्य हैं या नहीं, या सटीक रिकॉर्डिंग के बावजूद कोई गलती या गलतफहमी है। इसके अलावा, तथ्यों की एक लंबी श्रृंखला को एक साथ जोड़ना और आरोपी से पूछना कि वह

उनके बारे में क्या कहना चाहता है, पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उससे प्रत्येक भौतिक परिस्थिति के बारे में अलग से पूछताछ की जानी चाहिए जिसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाना है। इस धारा का पूरा उद्देश्य आरोपी को उसके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का उचित और उचित अवसर प्रदान करना है। इसलिए पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके और उसकी सराहना कर सके। यहां तक कि जब कोई आरोपी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होता है, तब भी जब उस पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो उसका दिमाग विचलित हो सकता है। इसलिए वह किसी जटिल प्रश्न के महत्व को समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को सरल और अलग-अलग तरीके से इस तरह से रखा जाए कि एक अशिक्षित दिमाग, या जो परेशान या भ्रमित है, वह आसानी से उसकी सराहना और समझ सके। मैं यह सुझाव नहीं देता कि इस संबंध में प्रत्येक त्रुटि या चूक अनिवार्य रूप से किसी मुकदमे को निष्प्रभावी कर देगी, क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रकार की त्रुटियाँ सुधार योग्य अनियमितताओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए, प्रत्येक मामले में प्रश्न त्रुटि की डिग्री और इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है। मेरी राय में, इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों की अवहेलना इतनी गंभीर है कि मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह की गंभीर संभावना है।

12. हेते सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य [1951 एससीसी 1060] में, जस्टिस बोस ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष बोलते हुए संहिता के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डाला:

> "8. अब धारा 208, 209 और 342, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए अभियुक्त व्यक्ति के बयान मुकदमे में विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से हैं। यह याद रखना होगा कि इस देश में अभियुक्त व्यक्ति को बॉक्स में प्रवेश करने और अपने बचाव में शपथ पर बोलने की अनुमति नहीं है। यह कुछ मामलों में अभियुक्त की सुरक्षा के लिए काम कर सकता है लेकिन अन्य जगहों के अनुभव से पता चला है कि यह एक निर्दोष व्यक्ति के हाथों में बचाव का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार भी हो सकता है। कमिटिंग मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान भारत में उस जगह को लेने के लिए अभिप्रेत हैं जो इंग्लैंड और अमेरिका में वह गवाह बॉक्स में अपने तरीके से कहने के लिए स्वतंत्र होगा।"

13. उपरोक्त सिद्धांत को अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2007) 12 एससीसी 341] में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है:

> "14. उपधारा (1)(ख) में 'सामान्यतः' शब्द प्रश्नों की प्रकृति को मामले से संबंधित सामान्य प्रकृति के एक या

अधिक प्रश्नों तक सीमित नहीं करता है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रश्न सामान्यतः पूरे मामले से संबंधित होना चाहिए और इसके किसी विशेष भाग या भागों तक सीमित होना चाहिए। प्रश्न इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को यह पता चल सके कि उसे क्या स्पष्ट करना है, उसके विरुद्ध कौन सी परिस्थितियाँ हैं और किसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का उचित और उचित अवसर प्रदान करना है और प्रश्न निष्पक्ष होने चाहिए और ऐसे रूप में होने चाहिए जिसे कोई अज्ञानी या निरक्षर व्यक्ति भी समझ सके। अभियुक्त द्वारा वह स्पष्ट न करने पर आधारित दोषसिद्धि जिसे उसे कभी स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया था, कानून में गलत है। संहिता की धारा 313 को लागू करने का पूरा उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान आरोप और साक्ष्य में उन विशिष्ट बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाए जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष दावा करता है कि मामला बनता है। आरोपी के खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छानुसार स्पष्टीकरण दे सके।"

52. यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-26 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जैसा कि **वजीर खान बनाम उत्तराखंड राज्य [(2023) 8 एससीसी 597]** के मामले में पारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

> **"26.** उपर्युक्त संदर्भ में, हम *धर्मदास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 4 एससीसी 267]* के पैरा 14 में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभप्रद रूप से उद्धृत कर सकते हैं:
>
> > "14. तो सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में दोष-सूचक परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा है कि अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अभियुक्त दोषी हो सकता है या नहीं, बल्कि यह कि उसे दोषी होना ही चाहिए। हमें यहाँ "अवश्य" की इस मानसिक भावना के बारे में सावधानी के साथ कहना चाहिए, ताकि इसे हर विपरीत संभावना के बहिष्कार के साथ भ्रमित न किया जाए। हमने *शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य* [(1973) 2 एससीसी 793] में स्पष्ट किया है कि उचित संदेह से परे सबूत को दोषमुक्ति के सिद्धांत में विकृत नहीं किया जा सकता है, जब कोई नाजुक या दूरस्थ संदेह कमजोर दिमाग से गुज़रता है। ये अवलोकन अक्सर कमजोर संभावनाओं पर दोषमुक्ति द्वारा वारंट किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करते हुए खारिज कर दिया जाता है। *उचित संदेह के लाभ का नियम हर संकोच के लिए झुकने वाली एक कमजोर विलो का अर्थ नहीं है। न्यायाधीश कठोर पदार्थ से बने होते हैं और उन्हें वैध निष्कर्षों के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष साक्ष्य से। साथ ही, जैसा कि इस*

न्यायालय ने काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(1973) 2 एससीसी 808] *में बताया है, यह पुष्टि की जा सकती है कि यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो उससे इसका लाभ नहीं रोका जा सकता है।"*

53. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी अनुपात के मार्गदर्शक नोट को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम आश्वस्त हैं कि ऊपर चर्चा की गई कई शंकाएं हैं, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण के दौरान उत्तर नहीं दिया गया है, जिससे विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज करने के संबंध में संदेह पैदा होता है, जिसका लाभ अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए।

54. अतः अपील स्वीकृत की जाती है।

55. बिहारशरीफ के नालंदा के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.8.2016 को पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय तथा दिनांक 23.08.2016 को पारित सजा का आदेश, जो लहेरी थाना कांड संख्या 114/2014 से उत्पन्न एस.टीआर. संख्या 84/2015 के संबंध में था, को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता अर्थात् धर्मवीर कुमार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

56. निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय रिकॉर्ड के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को तत्काल भेजी जाए।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।